

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

सहायता
23/9/25

क्रमांक:- एफ.8(16)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/

जयपुर, दिनांक

2025
23/9/25

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 63/2025-26

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु जिला कलक्टर, बून्दी को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय भवनों हेतु :-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थापना हेतु जिला कलक्टर, बून्दी से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1763-73 दिनांक 01.09.2025 के आधार पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा, बून्दी के 217 कार्यों हेतु राशि रूपयें 434.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा, हिण्डोली के 326 कार्यों हेतु राशि रूपयें 652.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा, तालेड़ा के 154 कार्यों हेतु राशि रूपयें 308.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नैनवा के 272 कार्यों हेतु राशि रूपयें 544.00 लाख एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा, के0पाटन के 281 कार्यों हेतु राशि रूपयें 562.00 लाख कुल 1250 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 2500.00 लाख (अक्षरे रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

2. आंगनबाड़ी भवनों हेतु :-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थापना हेतु जिला कलक्टर, बून्दी से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1788 दिनांक 04.09.2025 के आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिण्डोली के 42 कार्यों हेतु राशि रूपयें 74.70 लाख, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बून्दी के 60 कार्यों हेतु राशि रूपयें 125.00 लाख, बाल विकास परियोजना अधिकारी, के0पाटन के 99 कार्यों हेतु राशि रूपयें 247.50 लाख, बाल विकास परियोजना अधिकारी, तालेड़ा के 53 कार्यों हेतु राशि रूपयें 106.00 लाख एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, नैनवा के 39 कार्यों हेतु राशि रूपयें 78.00 लाख कुल 293 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 631.20 लाख (अक्षरे रूपये छः करोड़ ईक्कतीस लाख बीस हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

3. सामुदायिक भवनों हेतु :-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त सामुदायिक भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थापना हेतु जिला कलक्टर, बून्दी से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1788 दिनांक

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2025.09.23 16:24:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17832877
eSign 1.0



04.09.2025 के आधार पर पंचायत समिति, बून्दी के 36 कार्यों हेतु राशि रूपयें 90.00 लाख, पंचायत समिति, के0पाटन के 39 कार्यों हेतु राशि रूपयें 95.00 लाख, पंचायत समिति, तालेडा के 42 कार्यों हेतु राशि रूपयें 98.50 लाख, पंचायत समिति, हिण्डौली के 32 कार्यों हेतु राशि रूपयें 72.50 लाख एवं पंचायत समिति, नैनवा के 34 कार्यों हेतु राशि रूपयें 85.00 लाख कुल 183 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 441.00 लाख (अक्षरे रूपये चार करोड़ इक्तालीस लाख मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

कुल 1250 विद्यालय भवनों हेतु राशि रूपयें 2500.00 लाख, कुल 293 आंगनबाड़ी भवनों हेतु राशि रूपयें 631.20 लाख एवं कुल 183 सामुदायिक भवनों हेतु राशि रूपयें 441.00 लाख कुल 1726 कार्यों हेतु राशि रूपयें 3572.20 लाख (अक्षरे रूपये पैंतीस करोड़ बेहतर लाख बीस हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
8. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
11. इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा:-

RajKaj Ref No.:
17832877
eSign 1.0

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2025.09.17 16:24:36 IST
Reason: Approved

- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02- बाढ़, चक्रवात आदि।
107- खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(02)-(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
[01]-[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]
21-अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत)
12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगे।
 13. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
 14. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।
 15. विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावे।
 16. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
 17. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावे।
 18. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावे।

(भगवत सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

RajKaj Ref No.:
17832877
eSign 1.0

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2025.09.17 16:24:36 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा, नैनवा के विद्यालय भवन मरम्मत के प्रस्तावों में अंकित सं. अनुसार 272 कार्यो हेतु राशि रुपये 544.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं।
7. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
8. कोष कार्यालय, बून्दी।

शासन संयुक्त सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To
Government:
Date: 2025.09.17 16:24:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17832877
eSign 1.0

क्रमांक:- 52

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

दिनांक:- 24/9/25

प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक: एफ.8(30)आ.प्र. एवं सहा. / प्रस्ताव/ बाढ/ 2025/ RAJKAJ Ref No. 17832877 दिनांक: 17.09.2025 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये बाल विकास परियोजना अधिकारी, तालेडा के निम्न 53 कार्यों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245-02-107-02-01-21 से जारी की जाती है :-

क्र.सं.	तहसील	महिला मण्डल, युवा केंद्र, पंचायत घर सामुदायिक भवन एवं आंगनवाड़ी भवन	संविष्टत सम्यक्ति का नाम/स्थान का नाम	लति का मुख्य कारण	एतडीआरएफ मानवबन्दी अनुसार स्वीकृत राशि (लाखों में)	Restoration हेतु विहित कार्यकारी एजेंसी का नाम	Restoration हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम/ पदनाम एवं मो.न./फोन नं.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	आमधुन	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
2	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	भरता बाबडी	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
3	तालेडा	आंगनवाड़ी भवन (मर्जर ग्राम पंचायत भवन)	बरुन्धन 2	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
4	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	चांद का तालाब	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
5	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	दुल्हेपुरा	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
6	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	देवरीया 1	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
7	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	डोरा	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
8	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	कल्याणपुरा	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
9	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	लक्ष्मीपुरा 1	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
10	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	लक्ष्मीपुरा 2	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
11	तालेडा	आंगनवाड़ी भवन (मर्जर ग्राम पंचायत भवन)	सीतापुरा 2	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
12	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	तालाब बरघा 1	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
13	तालेडा	आंगनवाड़ी भवन मर्जर अन्य सरकाश भवन	मवानीपुरा	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
14	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	धनेश्वर 1	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
15	तालेडा	आंगनवाड़ी भवन मर्जर ग्राम पंचायत भवन	ड बी 2	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
16	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	धनेश्वर 2	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
17	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	धनेश्वर 3	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
18	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	ड बी 4	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
19	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	ड बी 5	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
20	तालेडा	आंगनवाड़ी भवन मर्जर अन्य सरकाश भवन	जवाहर सागर 1	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
21	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	खडीपुर 1	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
22	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	कवपुरा 1	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
23	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	चुभडा 2	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
24	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	डसालिया	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
25	तालेडा	विभागीय आंगनवाड़ी भवन	वडकू	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-

26	तालुका	आगनवाडी भवन (ग्राम पंचायत)	गणेशपुरा	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
27	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	लाम्बाखोह 1	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
28	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	लाम्बाखोह 2	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
29	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	लाम्बाखोह 3	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
30	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	पराना 2	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
31	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	भुमाखंडा	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
32	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	बडुन्दा 2	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
33	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	छपाखदा 1	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
34	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	जमीतपुरा 1	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
35	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	खलुन्दा	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
36	तालुका	विभागीय भवन आगनवाडी भवन	कंधूदा	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
37	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	पीपल्दा हाडा	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
38	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	तुलसी	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
39	तालुका	आगनवाडी भवन मजूर स्कूल	जाखमुण्ड 1	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
40	तालुका	आगनवाडी भवन मजूर स्कूल	जाखमुण्ड 2	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
41	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	सधेली	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
42	तालुका	आगनवाडी भवन मजूर स्कूल	तालुका 2	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
43	तालुका	आगनवाडी भवन मजूर स्कूल	तालुका 3	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
44	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	ग गोरा	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
45	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	कोथ्या	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
46	तालुका	आगनवाडी भवन (समुदायिक निष्कर्म भवन)	टीकरिया वारणान	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
47	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	गान्छ 1	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
48	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	गान्छ 2	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
49	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	कना	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
50	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	मेहराना 1	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
51	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	मेहराना 2	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
52	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	सिन्ता 1	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
53	तालुका	विभागीय आगनवाडी भवन	सिन्ता 2	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
कुल योग					106			

उपरोक्त सूची में प्रस्तावित की स्थितियों के निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैं :-

- स्वीकृतियों की राज्य आगनवाडी मोचन निधि एसडीआरएफ के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
- कार्यकारी एजेंसियों को कार्य प्रारम्भ करवाने तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तालुका स्तर पर कार्य पूरा हो सके।
- जब भी आवश्यक हो, तो एजेंसियों को प्रस्तावित शर्तों में कि उनके पास उपलब्ध संधारण एवं मरम्मत मद में से राशि का उपयोग करना सुनिश्चित करे।
- कार्यकारी एजेंसियों को कार्य प्रारम्भ के तहत आते हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

- 6 केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुनरुत्थान के कार्य ही करवाये जाये, जो एसडीआरएफ नोर्स में दिये गये प्रावधान अनुसार हो एवं कोई भी नवनिर्माण कार्य शामिल नहीं किया जायें।
- 7 स्वीकृत कार्यों के संबंध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जाये।
- 8 कार्य उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही गुणवत्तापूर्ण करवाया गया है।
- 9 स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 10 आंगनबाड़ी भवनों में क्या कार्य कराया जाना है इसका निर्धारण संबंधित महिला पर्यवेक्षक द्वारा किया जावेगा। महिला पर्यवेक्षक द्वारा दिया गया कार्य तकनीकी रूप से संभव होने पर ग्राम पंचायत द्वारा वही कार्य करवाया जावेगा।
- 11 आंगनबाड़ी भवनों के मरम्मत कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पर संबंधित महिला पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य आंगनबाड़ी की आवश्यकतानुसार गुणवत्तापूर्वक हुआ है।
- 12 कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित बिल संबंधित कार्यकारी एजेंसी, संबंधित पंचायत समिति के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी को एवं कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी जांच उपरान्त भुगतान की अनुशंसा सहित इस कार्यालय को भिजवायें जाये।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी

दिनांक:- 24/9/25

क्रमांक:-सहायता/2025/2343-67

- 1 संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त समस्त कार्यों का महिला पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारण किये जाने उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/के0पाटन/तालेड़ा
- 4 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बून्दी/तालेड़ा
- 5 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बून्दी/तालेड़ा/केशोरायपाटन/हिण्डोली/नैनवां
- 6 उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित महिला पर्यवेक्षक को कार्य का निर्धारण कर आगामी 03 दिवस में संबंधित ग्राम पंचायत को अवगत कराने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करें ताकि कार्य समय पर पूर्ण किया जा सके।
- 7 तहसीलदार बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/रायथल/इन्द्रगढ़/के0पाटन/तालेड़ा
- 8 समस्त महिला पर्यवेक्षक, ब्लॉक तालेड़ा
- 9 आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक:- 53

दिनांक:- 24/9/25

प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक: एफ.8(30)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2025/RAJKAJ Ref No. 17832877 दिनांक: 17.09.2025 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये बाल विकास परियोजना अधिकारी, नैनवां के निम्न 39 कार्यों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245-02-107-02-01-21 से जारी की जाती है :-

क्र. सं.	तहसील	महिला मण्डल, युवा केन्द्र, पंचायत घर, सामुदायिक भवन एवं आंगनवाड़ी भवन	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	क्षति का मुख्य कारण	एसडीआरएफ मानदण्डों अनुसार स्वीकृत राशि (लाखों में)	Restoration हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी का नाम	Restoration हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम/ पदनाम एवं मो.न. /फोन नं.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नैनवां	आंगनवाड़ी भवन	आ केन्द्र अरनेठा	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
2	नैनवां	आंगनवाड़ी भवन	आ केन्द्र खजुरी	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
3	नैनवां	आंगनवाड़ी भवन	आ केन्द्र बासी II	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
4	नैनवां	आंगनवाड़ी भवन	आ केन्द्र कालानला	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
5	नैनवां	आंगनवाड़ी भवन	आ केन्द्र रामगंज	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
6	नैनवां	आंगनवाड़ी भवन	आ केन्द्र कोरमा	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
7	नैनवां	आंगनवाड़ी भवन	आ केन्द्र देई V	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
8	नैनवां	आंगनवाड़ी भवन	आ केन्द्र डोकून	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
9	नैनवां	आंगनवाड़ी भवन	आ केन्द्र कालामाल	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
10	नैनवां	आंगनवाड़ी भवन	आ केन्द्र खानिका	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
11	नैनवां	आंगनवाड़ी भवन	आ केन्द्र वामनगाव 1	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
12	नैनवां	आंगनवाड़ी भवन	आ केन्द्र जरखोदा प्रथम	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
13	नैनवां	आंगनवाड़ी भवन	आ केन्द्र जरखोदा द्वितीय	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
14	नैनवां	आंगनवाड़ी भवन	आ केन्द्र काशपुरियां	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
15	नैनवां	आंगनवाड़ी भवन	आ केन्द्र मानपुरा जगदीशपुरा	अतिवृष्टि	2	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-

RajKaj Ref No.:

17947575

eSign DSC

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1 स्वीकृतियों की राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जावेगा।
- 2 कार्यकारी एजेन्सी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावे तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सकें।
- 3 सम्बन्धित विभाग यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके पास उपलब्ध संधारण एवं मरम्मत मद में से राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ का उपयोग लिया जायेगा।
- 4 वे कार्य जो डिफेक्ट लाईबिलिटी समय के तहत आते हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
- 5 आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
- 6 केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुनरूत्थान के कार्य ही करवाये जावे, जो एसडीआरएफ नोर्स में दिये गये प्रावधान अनुसार हो एवं कोई भी नवनिर्माण कार्य शामिल नहीं किया जावे।
- 7 स्वीकृत कार्यों के संबंध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 8 कार्य उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही गुणवत्तापूर्ण करवाया गया है।
- 9 स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 10 आंगनबाडी भवनों में क्या कार्य कराया जाना है इसका निर्धारण संबंधित महिला पर्यवेक्षक द्वारा किया जावेगा। महिला पर्यवेक्षक द्वारा दिया गया कार्य तकनीकी रूप से संभव होने पर ग्राम पंचायत द्वारा वही कार्य करवाया जावेगा।
- 11 आंगनबाडी भवनों के मरम्मत कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पर संबंधित महिला पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि कार्य आंगनबाडी की आवश्यकतानुसार गुणवत्तापूर्वक हुआ है।
- 12 कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित बिल संबंधित कार्यकारी एजेन्सी, संबंधित पंचायत समिति के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी को एवं कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी जांच उपरान्त भुगतान की अनुशंसा सहित इस कार्यालय को भिजवाये जाये।

(अक्षय गोदारा)

जिला कलक्टर, बून्दी

दिनांक:- 24/9/25

क्रमांक:-सहायता/2368-86

- 1 सयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त समस्त कार्यों का महिला पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारण किये जाने उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/के0पाटन/तालेडा
- 4 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नैनवां
- 5 उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित महिला पर्यवेक्षक को कार्य का निर्धारण कर आगामी 03 दिवस में संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करें ताकि कार्य समय पर पूर्ण किया जा सके।
- 6 तहसीलदार बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/रायथल/इन्द्रगढ/के0पाटन/तालेडा
- 7 समस्त महिला पर्यवेक्षक, ब्लॉक नैनवां
- 8 आदेश पत्रावली।

Document certified by AKSHAY
GODARA <dm-bun-@nic.in>

Digitally Signed by AKSHAY

जिला कलक्टर, बून्दी

Designation: District
Magistrate
Date :24-09-2025 07:58:40

RajKaj Ref No.:
17947575

eSign DSC

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक:- 54

दिनांक:- 24/9/25

प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक: एफ.8(30)आ. प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2025/RAJKAJ Ref No. 17832877 दिनांक: 17.09.2025 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये बाल विकास परियोजना अधिकारी, केशोरायपाटन के निम्न 99 कार्यों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245-02-107-02-01-21 से जारी की जाती है :-

क्र. सं.	तहसील	महिला मण्डल, युवा केन्द्र, पंचायत घर, सामुदायिक भवन एवं आंगनवाड़ी भवन	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम / स्थान	क्षति का मुख्य कारण	एसडीआरएफ मानदण्डों अनुसार स्वीकृत राशि (लाखों में)	Restoration हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी का नाम	Restoration हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम/ पदनाम एवं मा.न. / फोन नं.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कं0पाटन	आंगनवाड़ी भवन	अरनेठा 1	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
2	कं0पाटन	आंगनवाड़ी भवन	अरनेठा 3	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
3	कं0पाटन	आंगनवाड़ी भवन	अरनेठा 4	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
4	कं0पाटन	आंगनवाड़ी भवन	मिया 1	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
5	कं0पाटन	आंगनवाड़ी भवन	इन्द्रपुरिया	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
6	कं0पाटन	आंगनवाड़ी भवन	जलोदा 1	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
7	कं0पाटन	आंगनवाड़ी भवन	जलोदा 2	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
8	कं0पाटन	आंगनवाड़ी भवन	जयस्थल 1	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
9	कं0पाटन	आंगनवाड़ी भवन	बुढिया	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
10	कं0पाटन	आंगनवाड़ी भवन	रडी	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
11	कं0पाटन	आंगनवाड़ी भवन	वलकारा 1	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-

RajKaj Ref No.:

17947576

eSign DSC

92	के0पाटन	आंगनवाडी भवन	मोहनपुरा 3	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
93	के0पाटन	आंगनवाडी भवन	बुढेत	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
94	के0पाटन	आंगनवाडी भवन	उतराना	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
95	के0पाटन	आंगनवाडी भवन	बेलनगंज	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
96	के0पाटन	आंगनवाडी भवन	गुढा	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
97	के0पाटन	आंगनवाडी भवन	कैमलिया	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
98	के0पाटन	आंगनवाडी भवन	इन्द्रगढ वार्ड न0 1	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
99	के0पाटन	आंगनवाडी भवन	इन्द्रगढ वार्ड न0 4	अतिवृष्टी	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
				Total	247.5			

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1 स्वीकृतियों की राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जावेगा।
- 2 कार्यकारी एजेन्सी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावे तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- 3 सम्बन्धित विभाग यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके पास उपलब्ध संधारण एवं मरम्मत मद में से राशि का उपयोग शिघ्रता से उपरान्त ही एसडीआरएफ का उपयोग लिया जायेगा।
- 4 जो कार्य जो डिग्री 12 साइबिलिटी समय के तहत आते हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
- 5 आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
- 6 केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुनरूत्थान के कार्य ही करवाये जावे, जो एसडीआरएफ नॉर्म्स में दिये गये प्रावधान अनुसार हो एवं कोई भी नवनिर्माण कार्य शामिल नहीं किया जावे।
- 7 स्वीकृत कार्यों के राशि में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 8 कार्य उपरान्त उपाखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेंगे कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही गुणवत्तापूर्ण करवाया गया है।
- 9 स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 10 आंगनवाडी भवन में क्या कार्य कराया जाना है इसका निर्धारण संबंधित महिला पर्यवेक्षक द्वारा किया जावेगा।
- 10 महिदा पर्यवेक्षक द्वारा दिशा गया कार्य तकनीकी रूप से संभव होने पर ग्राम पंचायत द्वारा वही कार्य करवाया जावेगा।

11 आंगनबाडी भवनों के मरम्मत कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पर संबंधित महिला पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य आंगनबाडी की आवश्यकतानुसार गुणवत्तापूर्वक हुआ है।

12 कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित बिल संबंधित कार्यकारी एजेंसी, संबंधित पंचायत समिति के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी को एवं कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी जांच उपरान्त भुगतान की अनुशंसा सहित इस कार्यालय को भिजवाये जाये।

(अक्षय गोदारा)

जिला कलक्टर, बून्दी

दिनांक:- 24/9/25

क्रमांक:-सहायता/20 2387-2405

1 संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त समस्त कार्यों का महिला पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारण किये जाने उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

3 उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/के0पाटन/तालेडा

4 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, के0पाटन

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित महिला पर्यवेक्षक को कार्य का निर्धारण कर आगामी 03 दिवस में संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करें ताकि कार्य समय पर पूर्ण किया जा सके।

6 तहसीलदार बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/रायथल/इन्द्रगढ/के0पाटन/तालेडा

7 मरम्मत महिला पर्यवेक्षक, ब्लॉक के0पाटन

8 आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी

Document certified by AKSHAY
GODARA <dm-bun-@nic.in>
Digitally Signed by AKSHAY
GODARA
Designation : District Magistrate & District
Magistrate
Date :24-09-2025 07:58:17

RajKaj Ref No.:
17947576

eSign DSC

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक:- 55

दिनांक:- 24/9/25

प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक: एफ. 8(30)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2025/RAJKAJ Ref No. 17832877 दिनांक: 17.09.2025 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिण्डोली के निम्न 42 कार्यों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245-02-107-02-01-21 से जारी की जाती है :-

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त संपत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त संपत्ति का नाम / स्थान	क्षति का मुख्य कारण	एसडीआरएफ मानदण्डों अनुसार स्वीकृत राशि (लाखों में)	Restoration हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी का नाम	Restoration हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम / पदनाम एवं मा.नं. / फोन नं.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी सधुर प्रथम	अत्यधिक वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
2	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी सधुर द्वितीय	अत्यधिक वर्षा	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
3	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी सधुर तृतीय	अत्यधिक वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
4	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी सधुर चतुर्थ	अत्यधिक वर्षा	1.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
5	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी हरिपुरा	अत्यधिक वर्षा	1.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
6	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी धारखडी	अत्यधिक वर्षा	1.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
7	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी टोपा	अत्यधिक वर्षा	1.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
8	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	बगणावातो का झोपडा	अत्यधिक वर्षा	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
9	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी सावतगढ द्वितीय	अत्यधिक वर्षा	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
10	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी निमोद	अत्यधिक वर्षा	1.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
11	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी खोडी	अत्यधिक वर्षा	1.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
12	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी बडोदिया	अत्यधिक वर्षा	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
13	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी चन्दनपुरा	अत्यधिक वर्षा	1.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
14	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी हरमाली का खेडा	अत्यधिक वर्षा	1.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
15	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी सहरापुरीया	अत्यधिक वर्षा	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
16	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी सिघाडी प्रथम	अत्यधिक वर्षा	1.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
17	हिण्डोली	आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी रामपुरीया	अत्यधिक वर्षा	1.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-

RajKaj Ref No.:

17947578

eSign DSC

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1 स्वीकृतियों की राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
 - 2 कार्यकारी एजेन्सी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सकें।
 - 3 सम्बन्धित विभाग यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके पास उपलब्ध संचारण एवं मरम्मत मद में से राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ का उपयोग लिया जायेगा।
 - 4 वे कार्य जो डिफेक्ट लाईबिलिटी समय के तहत आते हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
 - 5 आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
 - 6 केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुनरुत्थान के कार्य ही करवाये जावे, जो एसडीआरएफ नोर्स में दिये गये प्रावधान अनुसार हो एवं कोई भी नवनिर्माण कार्य शामिल नहीं किया जावें।
 - 7 स्वीकृत कार्यों के संबंध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
 - 8 कार्य उपरान्त उपखण्ड सारीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेंगे कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही गुणवत्तापूर्ण करवाया गया है।
 - 9 स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
 - 10 आंगनबाड़ी भवनों में क्या कार्य कराया जाना है इसका निर्धारण संबंधित महिला पर्यवेक्षक द्वारा किया जावेगा। महिला पर्यवेक्षक द्वारा दिया गया कार्य तकनीकी रूप से संभव होने पर ग्राम पंचायत द्वारा वही कार्य करवाया जावेगा।
 - 11 आंगनबाड़ी भवनों के मरम्मत कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पर संबंधित महिला पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि कार्य आंगनबाड़ी की आवश्यकतानुसार गुणवत्तापूर्वक हुआ है।
- कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित बिल संबंधित कार्यकारी एजेन्सी, संबंधित पंचायत समिति के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी को एवं कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी जांच उपरान्त भुगतान की अनुशंसा सहित इस कार्यालय को भिजवाये जाये।

(अक्षय गोदारा)

जिला कलक्टर, बून्दी

दिनांक:- 24/9/25

क्रमांक:-सहायता/2025/2406-24

- 1 संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त समस्त कार्यों का महिला पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारण किये जाने उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/के0पाटन/तालेडा
- 4 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बून्दी
- 5 उप निदेशक, शिक्षा एवं शाल विकास विभाग, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित महिला पर्यवेक्षक को कार्य का निर्धारण कर आगामी 03 दिवस में संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करें ताकि कार्य समय पर पूर्ण किया जा सके।
- 6 तहसीलदार बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/रायथल/इन्द्रगढ/के0पाटन/तालेडा
- 7 समस्त महिला पर्यवेक्षक, ब्लॉक बून्दी
- 8 आगे के कार्यों।

जिला कलक्टर, बून्दी

Document certified by AKSHAY
GODARA <dm-bun-@nic.in>
Digitally Signed by AKSHAY
GODARA
Designation: District & District
Magistrate
Date :24-09-2025 07:58:09

RajKaj Ref No.:
17947578
eSign DSC

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक:- 55

दिनांक:- 24/9/25

प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक: एफ.8(30)आ. प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2025/RAJKAJ Ref No. 17832877 दिनांक: 17.09.2025 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये बाल विकास परियोजना अधिकारी, बून्दी के निम्न 60 कार्यों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245-02-107-02-01-21 से जारी की जाती है :-

क्र.सं.	तहसील	सतिग्रस्त संपत्ति का प्रकार	सतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम / स्थान	हानि का मुख्य कारण	एसडीआरएफ मानदण्डों अनुसार स्वीकृत राशि (लाखों में)	Restoration हेतु चिह्नित कार्यकारी एजेंसी का नाम	Restoration हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम / पदनाम एवं मा.नं. / फोन नं.	विशेष शिष्टरंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बून्दी	धनलक्ष्मी भवन / सीडीपीओ कार्यालय बून्दी शहर	हट्टीपुरा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
2	बून्दी	आगनबाड़ी भवन	रामनगर जाटन	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
3	बून्दी	आगनबाड़ी भवन	बांगामाता द्वितीय	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
4	बून्दी	आंगनबाड़ी भवन	बांगामाता तृतीय	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
5	बून्दी	आंगनबाड़ी भवन	खेरुणा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
6	बून्दी	आंगनबाड़ी भवन	कांटी	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
7	बून्दी	आंगनबाड़ी भवन	बांगामाता प्रथम	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
8	बून्दी	आंगनबाड़ी भवन	गणपतपुरा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
9	बून्दी	आंगनबाड़ी भवन	जावटीकला प्रथम	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
10	बून्दी	आंगनबाड़ी भवन	जावटी खुर्द	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
11	बून्दी	आंगनबाड़ी भवन	नन्दपुरा	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
12	बून्दी	आंगनबाड़ी भवन	बन का खेड़ा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
13	बून्दी	आंगनबाड़ी भवन	उलेडा	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
14	बून्दी	आंगनबाड़ी भवन	सिंती	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
15	बून्दी	आंगनबाड़ी भवन	रूपनगर	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
16	बून्दी	आंगनबाड़ी भवन	गरनारा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-

42	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	रामगंज प्रथम	अतिवृष्टि	0.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
43	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	भंवरदा	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
44	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	भंवरिया कुआ	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
45	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	अंधेड	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
46	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	मालीपुरा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
47	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	सुन्दरपुरा	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
48	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	श्रवण की झोपड़िया	अतिवृष्टि	1.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
49	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	लोइचा	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
50	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	गुंवार	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
51	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	अजेता	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
52	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	गुवाड़ी	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
53	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	भेरुपुरा ओझा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
54	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	सामरवा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
55	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	अखेड	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
56	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	खटियाडी	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
57	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	बरवास	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
58	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	रायथल	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
59	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	पीपल्या	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
60	वृन्दी	आंगनवाडी भवन	जखाना	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
			कुल योग		125.00			

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. स्वीकृति के साथ राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
2. कार्यकारी एगेंसी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सकें।
3. प्राधिकृत निमित्त यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके पास उपलब्ध साधारण एवं मरम्मत मद में से राशि का उपयोग हिने जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ का उपयोग लिया जायेगा।

- 4 वे कार्य जो डिफेक्ट लाईबिलिटी समय के तहत आते हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
 - 5 आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
 - 6 केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुनरुत्थान के कार्य ही करवाये जावे, जो एसडीआरएफ नोर्स में दिये गये प्रावधान अनुसार हो एवं कोई भी नवनिर्माण कार्य शामिल नहीं किया जावें।
 - 7 स्वीकृत कार्यों के संबंध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
 - 8 कार्य उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही गुणवत्तापूर्ण करवाया गया है।
 - 9 स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
 - 10 आंगनबाडी भवनों में क्या कार्य कराया जाना है इसका निर्धारण संबंधित महिला पर्यवेक्षक द्वारा किया जावेगा।
 - 11 महिला पर्यवेक्षक द्वारा दिया गया कार्य तकनीकी रूप से संभव होने पर ग्राम पंचायत द्वारा वही कार्य करवाया जावेगा।
 - 12 आंगनबाडी भवनों के मरम्मत कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पर संबंधित महिला पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि कार्य आंगनबाडी की आवश्यकतानुसार गुणवत्तापूर्वक हुआ है।
- कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित बिल संबंधित कार्यकारी एजेंसी, संबंधित पंचायत समिति के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी को एवं कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी जांच उपरान्त भुगतान की अनुशंसा सहित इस कार्यालय को भिजवायें जाये।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी

दिनांक:- 24/09/25

क्रमांक:-सहायता/2025/2425-43

- 1 संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त समस्त कार्यों का महिला पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारण किये जाने उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/कै0पाटन/तालेडा
- 4 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बून्दी
- 5 उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित महिला पर्यवेक्षक को कार्य का निर्धारण कर आगामी 03 दिवस में संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करें ताकि कार्य समय पर पूर्ण किया जा सके।
- 6 तहसीलदार बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/रायथल/इन्द्रगढ/कै0पाटन/तालेडा
- 7 समस्त महिला पर्यवेक्षक, ब्लॉक बून्दी
- 8 आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी

Document certified by AKSHAY
GODARA <dm-bun-@nic.in>
Digitally Signed by AKSHAY
GODARA
Designation : District & District
Magistrate
Date :24-09-2025 07:58:04

RajKaj Ref No.:
17947579
eSign DSC